बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

तारांकित प्रश्न
वर्ग – 1

05 चैत्र, 1940 (श.)
सोमवार, तिथि ---------------------------------
26 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 21

1.	ग्रामीण कार्य विभाग	....	....	10
2.	पथ निर्माण विभाग	....	....	05
3.	ग्रामीण विकास विभाग	....	....	03
4.	कृषि विभाग	....	....	01
5.	पंचायती राज विभाग	....	....	02

		कुल योग –		**21**

पथ का निर्माण

* 385. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय के अस्पताल चौक से प्रखंड कार्यालय होते हुए करमैनी गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-28 तक जाने वाला पथ गड्ढे में तब्दील है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क प्रखंड मुख्यालय का एक व्यस्ततम पथ है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पथ के जर्जर होने से आमजन को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं बरसात के दिनों में आवागमन बाधित हो जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

पुल की मरम्मत

* 386. **श्री राजन कुमार सिंह** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखंड मे अदरी नदी में पुल अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पुल के पूर्वी छोर को असामाजिक तत्व द्वारा काट दिया गया है जिससे उक्त पुल से गुजरने वाली जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

* 387. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक-5051/का.आ., दिनांक-22.6.17 के द्वारा विभाग के सचिव को लिखित रूप से सूचित किया गया था कि जमुई जिलान्तर्गत नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, झाझा द्वारा चरका पत्थर से गगनपुर की निविदा की गई थी जिसमें जाली भुगतान प्रमाण पत्र लगाकर कार्य आवंटित किया गया था, जिसे विभाग ने भी सही पाया;

(ख) क्या यह सही है कि संबंधित मुख्य अभियंता, मुख्यालय, पटना, भाग-2 तथा अधीक्षण अभियंता, मुंगेर एवं संवेदक की मिलीभगत से इस घोटाले को कार्यरूप दिया गया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध निगरानी विभाग से जांच कराकर उनकी अवैध कमाई जब्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सम्पर्क पथ का निर्माण

* 388. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा प्रखंड के मोमिन्दपुर पंचायत के वरूना गांव की धोवा नदी पर बना पुल सम्पर्क पथ की बाट जोह रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि आज भी इस पंचायत के वरूणा ग्यासपुर, रायपुर, नसीरपुर, जग्गुविगहा, पुन्दा, जफराबाद, गौरी आदि गांव के निवासियों का पुल होने के बाद मात्र डेढ किलोमीटर दूरी फोर लेन से जोड़ने की आवश्यकता रह जाएगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस पुल को संपर्क पथ से जोड़ना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

दोषी पर कार्रवाई

* 389. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नुरेसा बेगम पति मुबारक हुसैन और कृष्णा साह, पिता-स्व. सूरज साह, ग्राम-इटिक्हा, प्रखंड-थाना-पीरो, जिला-भोजपुर के निवासी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत दोनों लोगों को आवास बनाने के लिए प्रथम किस्त की राशि दे दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि इंदिरा आवास सहायक नीतु कुमारी अपने पति मंटु सिंह के द्वारा अपने और प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम पर मकान बनाने के लिए राशि वसूल रहे हैं;

(घ) क्या यह सही है कि नुरेसा बेगम और कृष्ण साह ने कार्यपालक दंड पदाधिकारी, पीरो के पास शपथ पत्र देकर राशि वसूलने की शिकायत जिला पदाधिकारी, भोजपुर और विकास आयुक्त भोजपुर से किया इसके बावजूद भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं की गई और न लाभुक को दूसरी किस्त की राशि दी गई है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो दोषी कर्मचारी और पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए अधूरा मकान को राशि देकर पूर्ण कराना चाहती है ?

सड़क की मरम्मत

* 390. **श्री सोनेलाल मेहता** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड अन्तर्गत चैधा-बन्नी पंचायत में 'काजीचक ढाला से बन्नी घाट' तक जाने वाली आर.ई.ओ. सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित सड़क से बन्नी, समसपुर, ठाठा, झिकटिया आदि पंचायतों के आम लोगों को पैदल चलना भी दूभर हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित सड़क का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क का पक्कीकरण

* 391. **श्री सच्चिदानन्द राय** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड बनियापुर के लौवॉ कलां में गंडक नहर पुल चौमुखी से कृष्णा राय के घर होते हुए मुरारपुर पुल तक कच्ची सड़क है, जिसके कारण राहगीर काफी परेशान हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कच्ची सड़क पर पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नाला का निर्माण

* 392. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत मोतिहारी से अरेराज पथ में रघुनाथपुर पंचायत के बालगंगा स्थित डा. एस. पी. सिंह बी.एड. कॉलेज, आई.आई.टी., इन्टर कॉलेज, एम.एस. मेमोरियल पब्लिक इन्टर कॉलेज महादलित टोले पेट्रोल पथ इत्यादि स्थापित है तथा अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर में सावन, महाशिवरात्रि, अनंत चतुर्दशी एवं सालों भर पूर्वी चम्पारण जिले के अलावा मुजफ्फरपुर शिवहर, सीतामढ़ी, बेतिया, प. चम्पारण, यू.पी. एवं नेपाल के श्रद्धालुगण लाखों की संख्या में पूजा अर्चना करने जाते हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो बालगंगा से गढ़रिया नासी नाला तक आर.सी.सी. पक्का नाला का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनियमितता की जांच

* 393. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर के प्रखंड विकास कार्यालय के नये भवन के निर्माण कार्य में घटिया ईंट, बालू, छड़ का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त भवन निर्माण में संवेदक द्वारा भारी गड़बड़ी किया जा रहा है तथा मानक अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रखंड भवन के निर्माण कार्य में अनियमितता की जांच विभाग द्वारा कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

प्रखंड का गठन

* 394. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा ने अपने पत्रांक-25, दिनांक-23.6.2016 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरियापुर के पत्रांक-09, दिनांक-25.5.2016 के आलोक में सारण जिलान्तर्गत डेरनी को प्रखंड बनाने के संबंध में विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया था;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सारण जिलान्तर्गत ग्राम डेरनी को प्रखंड बनाने के संबंध में सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

कृषि यंत्र उद्योग को प्रोत्साहन

*395. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार सूबे में देश के कृषि यंत्र का लगभग 10 प्रतिशत खपत होता है, केन्द्र ने बिहार में फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीच्यूट की स्थापना की मंजूरी दी है;

(ख) क्या यह सही है कि किसानों की जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र राज्य में बनने से रोजगार में वृद्धि होगी, लागत मूल्य भी कम जाएगा;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार के निर्माताओं को इंजीनियरिंग कॉलेज एवं कृषि विश्वविद्यालयों से टैग किया जाने का विचार सरकार के पास विचाराधीन है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कृषि बनाने वालों की मदद के लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है, ऋण एवं जगह की व्यवस्था करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

सड़क निर्माण

* 396. **श्री सुनील कुमार सिंह** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत बिरौल प्रखंड के गयारी गांव से गौड़ा बौराम प्रखंड के गनौनी गांव तक ग्रामीण सड़क की दूरी लगभग 4.5 कि.मी. है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है और न ही बिहार राज्य मार्ग के कोर नेटवर्क में भी दर्ज किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि इस सड़क के बन जाने से बिरौल अनुमंडल की 25 हजार की आबादी बिरौल अनुमंडल से जुड़ जाएगी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क को विश्व बैंक से प्राप्त राशि से बनवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

शीघ्र सड़क निर्माण

* 397. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जिला नवादा अंतर्गत नारदीगंज मसौढ़ा पक्की सड़क से जुड़े ग्राम-रजौर, जदुपुर एवं भदौर तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत विगत 20 वर्षों से निर्माण कार्य अधूरा है;

(ख) क्या यह सही है कि अर्द्धनिर्मित सड़क रहने के कारण हजारों से अधिक ग्रामीण जनता को प्रखंड मुख्यालय नारदीगंज जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लंबी अवधि से पड़े अर्द्धनिर्मित सड़क को त्वरित गति से पूरा करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सड़क सह नाला निर्माण

*398. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत कंकड़बाग अंचल के वार्ड संख्या-33 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, किन्तु दुसाधी पकड़ी प्राथमिक विद्यालय से इन्दु पैलेस एवं सुधीर पासवान के मकान से राजाराम पासवान के मकान तक का मार्ग (सड़क) कच्ची एवं उबड़-खबड़ स्थिति में है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित पथों में नाला निर्माण भी नहीं हो सका है, जिससे मुहल्लों का दूषित पानी जगह-जगह जमा रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर सात निश्चय के तहत खंड 'क' में वर्णित भागों के पथों में नाला निर्माण कार्य सहित उसे पी.सी.सी. (पक्कीकरण) करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान

*399. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर प्रखंड के एन.एच.-77 में अधिग्रहण किये गये किसानों की जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के कारण भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार रून्नी सैदपुर प्रखंड सहित सीतामढ़ी जिले के एन.एच.-77 में अधिग्रहण की गई किसानों की जमीन का मुआवजा की बकाया राशि का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तों क्यों ?

पथ का सुदृढ़ीकरण

*400. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर, बांका एवं मुंगेर जिले से देवघर के लिए अलग से पैदल कांवरिया पथ का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि कांवरिया पथ में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है और उस पथ की मरम्मती मात्र सावन माह के पहले की जाती है, सड़क की स्थिति काफी जर्जर है;

(ग) क्या यह सही है कि कांवरिया पथ में बालू बरसात के समय में बह जाता है तथा गर्मी में हवा के प्रकोप से समाप्त हो जाता है;

(घ) क्या यह सही है कि कांवरिया पथ में गंगा के बालू का भराव होने से एवं उसका समुचित रूप से रोलर चला कर दोनों किनारे ईंट लगाने से सड़क का टिकाऊपन बना रहेगा और सालों भर चलने वाले कांवरियों को सुविधा होगी;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कांवरिया पथ में गंगा बालू भराव कर रोलर आदि से उसकी स्थायी व्यवस्था कर देने से देवघर जाने-आने वाले कांवरियों को काफी सुविधा होगी ?

बीमा राशि का भुगतान

*401. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री अनुग्रह अनुदान योजना के तहत 5 लाख का जीवन बीमा किया जाता है परन्तु उनकी मृत्यु के उपरांत आश्रितों को यह राशि देने में काफी विलंब होता है जिससे पंचायत प्रतिनिधियों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को जीवन बीमा की राशि का भुगतान आपदा के तर्ज पर शीघ्र कराये जाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

पुल का निर्माण

*402. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत परसा प्रखंड के भेल्दी टोला के बगल से बरियारपुर के सामने माही नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नदी पर पुल निर्माण हो जाने पर कई पंचायतों के रास्ते की दूरी कम हो जायेगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नदी पर पुल का निर्माण करा कर जनता की कठिनाइयों को दूर करने का विचार रखती है, यदि हां ते कबतक, नहीं तो क्यों ?

अधिकार की समीक्षा

* 403. **श्री दिनेश प्रसाद** : क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला परिषद की बैठकों में जिला के अनुमंडल पदाधिकारियों को उपस्थित होने के लिए पत्र दिये जाते हैं परंतु वे कभी नहीं उपस्थित होते हैं, जिसके कारण खाद्य आपूर्ति से जुड़े मामलों पर बैठकों में समीक्षा नहीं हो पाती है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला में खाद्य आपूर्ति विभाग का कार्य अनुमंडल पदाधिकारी ही देखते हैं और खाद्य आपूर्ति का सारा अधिकार इन्हें प्राप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि जिले में पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारियों को जिला परिषद की बैठकों में बुलाना है अथवा नहीं तथा खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा जिला परिषद् को करनी है अथवा नहीं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन

* 404. **श्री मनोज यादव** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास विभाग, पटना द्वारा मनरेगा कार्यक्रम अंतर्गत पंचायत समिति को कार्यान्वयन निकाय के रूप में काम करने के संबंध में राज्य के सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त/जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि 'क' में वर्णित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु अभी तक भागलपुर जिला के उप-विकास आयुक्त/जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं अन्य सभी माननीय अध्यक्ष जिला परिषद, भागलपुर एवं प्रखंड प्रमुख को किसी प्रकार की सूचना निर्गत नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत चलने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भागलपुर जिला के प्रखंड एवं अन्य प्रखंडों के लिए परिषद एवं प्रखंड प्रमुखों सहित सभी पदाधिकारियों को निर्देशित करने हेतु तत्क्षण कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नाला निर्माण

* 405. **डा. सूरजनंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत कंकड़बाग रोड नं.-3 के मलाही पकड़ी चौक से नया बाईपास तक 90 फीट रोड के दोनों तरफ नाला का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण बरसाती पानी से दूसाधी पकड़ी, कैलाशपुरी, भाभा कॉलोनी में जल जमाव के कारण घरों में पानी घुसने से वहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि वहां के लोगों द्वारा कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना को दिनांक-6.8.2016 को लिखित शिकायत करने के उपरान्त भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मलाही पकड़ी से नया बाईपास तक रोड के दोनों तरफ नाला का निर्माण करवाने पर विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 26 मार्च, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्